न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 276/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
छोटूराम पुत्र बगजी जाति माली निवासी राजासनी तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1– मोतीराम पुत्र नैनाराम 2– नारायणराम पुत्र गुणेशा 3– भंवरलाल पुत्र बगजी सभी जाति माली निवासी राजासनी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17–6–2013 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 9/2011 मे पारित किया गया ।

राजस्व अपील संख्या 275/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
छोटूराम पुत्र बगजी जाति माली निवासी राजासनी तहसील ओसियां जिला जोधपुर		1– मोतीराम पुत्र नैनाराम 2– नारायणराम पुत्र गुणेशा 3– भंवरलाल पुत्र बगजी सभी जाति माली निवासी राजासनी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ओसियां

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17–6–2013 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा राजस्व अपील संख्या 10/2011 मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री लाधूराम पूनिया अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री ओमप्रकाश गोदाराम अधिवक्त रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।
3– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 3 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 8–11–2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम राजासनी तहसील ओसियां के खसरा नंबरान 120, 122, 69, 119, 121 की कुल 206 बीघा 11 बिस्वा भूमि के 2/3 हिस्से का खातेदार गणेश वल्द हेमा माली था तथा गणेश के तीन पुत्र कमशः बगाराम, नैनाराम एवं नारायणराम थे । खातेदार गणेश का देहांत दिनांक 6–3–59 को हुआ तथा वर्तमान अपीलांट के पिता बगजी उर्फ बगाराम का देहांत खातेदार गणेशाराम की मृत्यु के पहले ही वर्ष 1955 मे हो गया था । उक्त खातेदार गणेशजी की मृत्यु होने पर उसके हिस्से की खातेदारी भूमि का फोतेदगी नामांतरकरण संख्या 7 दिनांक 1–3–59 बिना मृतक के वारिसान की जांच किये ही ग्राम पंचायत मथानियां द्वारा स्वीकृत करते हुए वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 के पिता नैनाराम एवं रेस्पो0 संख्या 2 नारायणराम पि0 गणेशा के नाम दर्ज कर स्वीकृत

किया गया, जिसमे अपीलांट छोटुराम एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 भंवरलाल का नाम दर्ज नही किया । उक्त नामांतरकरण की जानकारी होने पर नामांतरकरण संख्या 7 के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–6–2013 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज कर दी जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील संख्या 276/2017 इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 7 दिनांक 1–3–59 स्वीकृत होने के पश्चात नामांतरकरण संख्या 121 जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के साथ प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम जरिये पारिवारिक बंटवाडा के दिनांक 24–8–75 को सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान द्वारा स्वीकृत किया गया जिसमे प्रत्यर्थी संख्या 3 भंवरलाल पुत्र बगजी का नाम दर्ज कर दिया परंतु अपीलांट छोटुराम का नाम दर्ज नही किया जाने पर अपीलांट ने उक्त नामांतरकरण संख्या 121 दिनांक 24–8–75 के विरूद्ध प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–6–2013 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज कर दी जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील संख्या 275/2017 इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

चूँकि उक्त दोनो ही अपीलो मे समान पक्षकार होने तथा एक समान कानूनी बिन्दु विचारणीय होने से उक्त दोनो अपीलों का निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय मे किया जा रहा है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन अपीलांट की गैर हाजरी मे बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया था इसलिए मयाद का बिन्दु प्रथम जानकारी से लागू होगा तथा अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी अपीलांट को होते ही प्रथम अपील अंदर मयाद प्रस्तुत कर दी गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना ही तथा अपीलाधीन म्युटेशन अपीलार्थी को नोटिस देकर पारित करने की कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नही होते हुए भी अपीलांट की अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपील के गुणावगुण पर कोई विचार किये बिना ही अपीलांट की अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व मृतक

खातेदार के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर उनके नाम से म्युटेशन स्वीकृत किया जाना आवश्यक था परंतु अपीलाधीन म्युटेशन बिना जांच किये केवल मृतक के मौजुद लडको के नाम स्वीकार कर दिया गया तथा पूर्व मृत पुत्र के वारिसान के नाम अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 7 मे दर्ज नही किया जबकि अपीलांट स्व0 खातेदार गुणेश का पौत्र है तथा उसका भी अपीलाधीन भूमि मे बराबर का हक अधिकार था इसलिए अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानो की अनदेखी करते हुए पारित किया गया होने से ऐसे आदेशो के विपरीत मयाद का कोई बिन्दु लागू नही होता है परंतु इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे अपीलांट को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी दिनांक 15–04–2011 से पूर्व होना मानते हुए कयासी आधारो पर अपीलांट की दोनो प्रथम अपीलो को मयाद बाहर मानते हुए खारीज कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे 1998 आर.आर.डी. पेज 319 की निर्णय नजीर का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय नजीर मे यह अभिनिर्धारित किया है कि मेरिट पर यदि केस अच्छा है तो मयाद जैसे तकनिकी बिन्दु के आधार पर अपील को खारीज नही किया जा सकता है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खरीदसुदा निजी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 114, 116, 117, 118, 158 कुल रकबा 70 बीघा 14 बिस्वा के आधे हिस्से को भूमि विभाजन मे शामिल मानकर अपीलाधीन आदेश पारित करने मे विधिक भूल की है जबकि इसप्रकार का कोई विधिक दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही था तथा अपीलार्थी की निजी खातेदारी भूमि पर अपीलार्थी के भाई को कोई अधिकार पैदा ही नही होते है, इस बिन्दु पर गौर किये बिना ही जो अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, वह निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त दोनो अपीलो को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–6–2013 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 07 एवं 121 ग्राम राजासनी को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार ओसियां को मृतक खातेदार गुणेश के समस्त वारिसान की जांच कर नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का समर्थन करते हुए उक्त दोनो ही अपीलो को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 3 ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि नामांतरकरण संख्या

7 जो कि वर्ष 1959 मे खातेदार गणेश के फौत होने पर स्वीकृत हुआ था । उक्त नामांतरकरण मे अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 दोनो का नाम दर्ज नही हुआ था परंतु इतने वर्षो तक उक्त नामांतरकरण संख्या 7 के विरूद्ध किसी ने कोई अपील या चाराजोही नही की । नामांतरकरण संख्या 7 स्वीकृत होने के पश्चात उक्त भूमि के संबंध मे अन्य म्युटेशन संख्या 121 मे प्रत्यर्थी संख्या 3 भंवरलाल पुत्र बगजी का नाम जरिये पारिवारिक बंटवाडा के दर्ज किया गया तथा उक्त म्युटेशन दिनांक 24—8—75 को सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा भाटियान द्वारा स्वीकृत किया गया जिसके विरूद्ध भी अपीलांट ने इतने वर्षो तक कोई अपील नही की ।

वकील रेस्पो0 संख्या 3 ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 3 ने म्युटेशन संख्या 121 के जरिये उसका नाम अपीलाधीन भूमि मे दर्ज होने के बाद उक्त भूमि पर ऋण के लिए आवेदन किया था जिस आवेदन पत्र मे अपीलांट छोटुराम पुत्र बगाराम के प्रथम गवाह के रूप मे हस्ताक्षर है, इसलिए यह नही माना जा सकता कि अपीलांट को उक्त दोनो ही नामांतरकरणो की जानकारी उसे नही रही हो परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त दोनो नामांतरकरणों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपीलो के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जानकारी बाबत जो तथ्य लिखे है, वह कल्पित आधार पर लिखे हुए होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की उक्त दोनो ही अपीलो को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है तथा अपीलांट की उक्त दोनो ही अपीलो को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 संख्या 3 ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 2009 (1) पेज 432 एवं आर.आर.टी. 2012 (2) पेज 1177 की निर्णय नजीरें पेश की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलीयां एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अपीलाधीन निर्णय एवं उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा उद्धरित एवं प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अध्ययन किया । प्रस्तुत प्रकरण मे प्रथम म्युटेशन संख्या 7 जो वर्ष 1959 मे तथा अन्य म्युटेशन संख्या 121 वर्ष 1975 मे स्वीकृत हुआ था । तब से पक्षकारान का नाम उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चले आ रहे है । नामांतरकरण संख्या 121 के जरिये रेस्पो0 संख्या 3 का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के पश्चात रेस्पो0 संख्या 3 भंवरलाल पुत्र बगजी ने अपने खातेदारी की कृषि भूमि पर वर्ष 2004 मे जोधपुर सेन्ट्रल कॉआपरेटिव बैंक लि0 जोधपुर से ऋण के लिए आवेदन किया तो अपीलांट छोटुराम स्वयं ने सहमति पत्र पर बतौर गवाह के हस्ताक्षर किये थे तथा रेकर्ड पर उपलब्ध स्कूल दस्तावेज के अनुसार यह नही कहा जा सकता कि छोटुराम पढा लिखा न हो इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को उक्त नामांतरकरण स्वीकृति के बारे मे पूर्व से ही जानकारी थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त दोनो ही नामांतरकरणो के विरूद्ध वर्ष 2011 मे प्रस्तुत प्रथम अपीलो के साथ जो धारा 5

मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पेश किये है, जिनमे अपीलाधीन नामांतरकरण की प्रथम जानकारी की दिनांक 1–4–2011 को होने का उल्लेख करते हुए अपीलो को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया है, वह काल्पनिक एवं बनावटी आधार पर उल्लेखित किया जाना प्रकट है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को मयाद मानकर जो निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य प्रतीत होता है । वकील रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरो मे भी यही अभिनिर्धारित किया गया है कल्पना या बनावटी कथनो के आधार पर प्रकट तथ्यो के आधार पर अपील को मयाद सुमार नही किया जा सकता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत दोनो ही प्रथम अपीलो को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने बाबत पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत होने से उसमे हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट यदि अपीलाधीन भूमि मे इतने लंबे समय के बाद अपना हक अधिकार होना मानते है तो सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर अपने अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु स्वतंत्र है, नामांतरकरण की कार्यवाही के जरिये हक अधिकारो का निर्धारण संभव नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त दोनो ही अपीले सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा अपील संख्या 9/2011 एवं 10/2011 मे पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–6–2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 8–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर